सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 125 राँची, बुधवार, 13 फरवरी, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

8 फरवरी, 2019

संख्या-5/आरोप-1-182/2014-534 (HRMS)-- श्री दिनेश प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-498/03, गृह जिला-गढ़वा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, मांडर, राँची, सम्प्रति-निलंबित के विरूद्ध पुलिस उप महानिरीक्षक, निगरानी ब्यूरो, राँची के पत्रांक-818, दिनांक 05 अप्रैल, 2002 द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या-22/2002, दिनांक 23 फ़रवरी, 2002 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री दिनेश प्रसाद, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मांडर, राँची को 5,000/- रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की सूचना उपलब्ध करायी गयी।

2. उक्त आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं०-2820, दिनांक 08 मई, 2002 द्वारा श्री प्रसाद को हिरासत में लिये जाने की तिथि 23 मार्च, 2002 से अगले आदेश तक निलंबित किया गया तथा विभागीय आदेश सं०-1085, दिनांक 24 फ़रवरी, 2003 द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त किया गया।

3. उक्त मामले में श्री प्रसाद के विरूद्ध विधि विभाग के आदेश सं०-141/2002, दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

4. उपायुक्त, राँची के पत्रांक-217(i), दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 द्वारा सूचित किया गया कि निगरानी थाना कांड संख्या-22/2002, दिनांक 23 फ़रवरी, 2002 से संबंधित Vigilence(Spl.) Case No. 24/2002,CNR-JHR No1.000035.2002 में श्री संतोष कुमार, माननीय विशेष न्यायाधीश (Special Judge), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के न्यायालय द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को पारित न्यायादेश में श्री प्रसाद को U/s 7&13(1)(d) r/w section 13(2) of the Prevention of Corruption Act के अन्तर्गत दोषी सिद्ध करते हुए उन्हें दो साल के सश्रम कारावास एवं बीस हजार रूपये का अर्थ दण्ड दिया गया है।

5. माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने के आलोक में श्री प्रसाद को दोष सिद्धि की तिथि दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 से निलंबित करने एवं इन्हें सेवा से बर्खास्त किये जाने के बिन्दु पर कारण पृच्छा करने पर माननीय मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त किया गया।

6. तत्पश्चात् विभागीय आदेश सं०-379, दिनांक 11 जनवरी, 2018 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(ख) के तहत् दोष सिद्धि की तिथि दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 से अगले आदेश तक श्री प्रसाद को निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-418, दिनांक 15 जनवरी, 2018 द्वारा सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर उनसे कारण पृच्छा की गयी।

7. उक्त के अनुपालन में श्री प्रसाद द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें निगरानी स्पेशल केस नं०-24/02 में माननीय विशेष न्यायाधीश (Special judge) द्वारा पारित दण्डादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं०-2292/2017 दायर करने का उल्लेख करते हुए इसके निष्पादन तक अग्रतर कार्रवाई को स्थगित रखने का अनुरोध किया गया। जिसके आलोक में विधि विभाग, झारखण्ड से परामर्श प्राप्त किया गया।

8. श्री प्रसाद द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत एवं विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री प्रसाद को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् सेवा से बर्खास्त करने के निर्णय पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

9. उक्त निर्णय के आलोक में श्री प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-7470, दिनांक 07 अक्टूबर, 2018 एवं पत्रांक-9051, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 द्वारा झारखण्ड, लोक सेवा आयोग, झारखण्ड राँची से सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक-68, दिनांक 10 जनवरी, 2019 द्वारा सहमति संसूचित की गयी।

10. तत्पश्चात् दिनांक 05 फ़रवरी, 2019 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-01 के रूप में श्री प्रसाद को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

11. अतः श्री दिनेश प्रसाद, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मांडर, राँची, सम्प्रति-निलंबित को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	DINESH PRASAD BHR/BAS/2084	श्री दिनेश प्रसाद, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मांडर, राँची, सम्प्रति-निलंबित को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 125 -- 50